

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

लोक अदालत कोर्ट केम्प बामनवास

अज अदालत :- उपखंड अधिकारी बामनवास
इजलास: :- सुश्री प्रियंका कडेला (आर.ए.एस.)

1. श्रीमति प्रेम देवी बेवा स्व. रामसिंह जाति गुर्जर निवासी नागरहेडा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. श्रीमति निरमा पुत्री रामकरण पत्नि रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी वेरखंडी तहसील बरनाला जिला सवाई माधोपुर
2. तहसीलदार तहसील बामनवास
3. ज्ञानसिंह पुत्र रामसिंह
4. पप्पू पुत्र रामसिंह
5. पप्पू पुत्र रामसिंह
6. कल्याणी देवी पत्नि रामकिशोर
7. घर्मसिंह पुत्र कल्याण
8. घर्मो देवी पत्नि विश्राम सिंह
9. हरकेश पुत्र कल्याण
10. कानसिंह पुत्र कंचन
11. लखनबाई पुत्री कंचन
12. विजयसिंह पुत्र कंचन
13. शांति बेवा कंचन

सभी जाति गुर्जर निवासी नागरहेडा तहसील बामनवास

--: प्रतिवादी :-

वाद पत्र बाबत धोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधज्ञा

मुकदमा न. -6/2023

डिकरी जारी दिनांक: 13.9.2025

--: निर्णय :-


यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी :-वकील वादी श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एवं वकील प्रतिवादी न. 1 श्री ब्रह्मानंद मीना प्रतिवादी न. 3 ता 13 तक श्री मनोज कुमार शर्मा मिनजानिब मुददई व मिनजानिब मुददयालह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-

आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट केम्प कार्यालय हाजा मे निस्तारण होने के लिए प्रस्तुत होने पर पत्रावली मे वकील प्रतिवादी न. 1 निरमा देवी की ओर से प्रस्तुत राजीनामा एवं वकील प्रतिवादी न. 3 से आती है और से वादी श्रीमति प्रेम देवी के पक्ष मे प्रस्तुत एकवालीय जवाब अनुसार वादी का दावा लोक अदालत मे राजीनामा की भावना से प्रस्तुत होने पर अंतिम रूप से डिकरी किया जाकर ग्राम नागरहेडा तहसील बामनवास के हॉल ख.न.


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

174,175 हि. 9/160 कुल किता 2 रकवा 1.32 हेक्टर एवं ख.न. 58 रकवा 0.64 हेक्टर हि. 9/80 जो भूमि राजू पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर सा.देह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है को दुरुस्त किया जाकर वादी श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व. रामसिंह जाति गुर्जर को खातेदार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादी न. 2 लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में राजू पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर का नाम हजफ किया जाकर वादीया के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे । इसी अनुसार पालना हेतु तहसीलदार बामनवास को तहरीर जारी की जावे ।

यह आदेश आज दिनांक 13.9.2025 को लोक अदालत में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बामनवास
(प्रियंका कडेला)
उपखंड अधिकारी
बामनवास